यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, गोपेश्वर (चमोली) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, गोपेश्वर (चमोली) के माह 12/2009 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पवन कुमार, एवं सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री राजकुमार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18.10.2017 से 25.10.2017 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरूण कुमार भारतीय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एल.पी. थपलियाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17/12/2009 से 19/12/2009 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2003 से 11/2009 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- उत्तराखण्ड राज्य के सीमान्त जनपद चमोली में विधि विषय में उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सन् 1978 में उत्तर प्रदेश राज्य (वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य) द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर (चमोली) में विधि संकाय की स्थापना की गयी।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		अधिक्य (+)	बचत (-)	गैर स्थापना		अधिक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय			आवंटन	व्यय		
2014-15	--	--	29.29	29.29	--	--	4.52	4.52	--	--
2015-16	--	--	46.56	46.46	--	0.1	5.42	5.25	--	0.17
2016-17	--	--	51.77	49.51	--	2.26	4.46	3.04	--	1.42
2017-18 (09/2017)	--	--	55.75	29.05	--	26.7	5.05	0.30	--	4.75

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः

लागू नही

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	आंटित धाराशि	व्यय धनराशि	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	--	--	--	--	--	--
2015-16	रूसा	शून्य	25.00	24.40	शून्य	(-)0.60
2016-17	रूसा	0.06	87.78	87.78	शून्य	(-)1.21
2017-18	--	--	--	--	--	--

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना (अनुदान संख्या 11 के अन्तर्गत, निदेशक उच्च शिक्षा निदेशक, हल्द्वानी) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून 2. उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी 3. उच्च शिक्षा निदेशक, हल्द्वानी 4. प्राचार्य, रा. महाविद्यालय, घाट, चमोली

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 12/2009 से 09/2017 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय घाट, (चमोली), के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय घाट, (चमोली), की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02.2011,03.2016, 03.2017 एवं 03/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 01 :- परियोजना के दिशानिर्देशों की उपेक्षा कर निर्माण कार्य पर ₹ 87.46 लाख मनमाने ढंग से प्रयुक्त किया जाना।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) से आच्छादित राजकीय विधि महाविद्यालय गोपेश्वर की लेखापरीक्षा में दिशानिर्देश तथा शासनादेश के मुख्य बिन्दु निम्नवत् पाये गयेः-

1. रूसा के समस्त खातों एवं लेखो का ऑडिट रूसा परियोजाना निदेशालय द्वारा नामित अंकेक्षक के माध्यम से सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में संबंधित कार्यदायीं संस्थाओं द्वारा आदेशों/निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
2. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अवमुक्त अनुदान का 75% उपयोग करने के पश्चात अनुदान की आगामी किस्त के लिये अनुरोध किया जा सकता है।
3. दिनांक 22.04.16 की समीक्षा बैठक में उपस्थित संबंधित निर्माण एजेंसी को दिशानिर्देशित कर किसी भी दशा में आगणन के पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा तथा अनावश्यक कार्य बन्द पाये जाने अथवा धीमी गति से कार्य होने की दशा में जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

जांच में आगे पाया गया कि उक्त महाविद्यालय को भारत सरकार द्वारा शासनादेश सं0 412/XXIV(7)2016-60(2)/15 दिनांक 16.08.16 के क्रम में निर्माण, पुननिर्माण तथा नई सुविधाओं हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 200.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी जिसमें निर्माण कार्य की स्वीकृत लागत ₹ 70.00 लाख के सापेक्ष ₹ 87.46 लाख निर्माण इकाई उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम श्रीनगर को अवमुक्त की गयी जिसमें शेष धनराशि से पुननिर्माण की स्वीकृत लागत ₹ 70.00 लाख की भी कार्य प्रारंम करनी थी। MOU के अनुसार निर्माण कार्य पूर्णकर 05/2017 तक सौंपा जाना था, परंतु लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य बंद पड़ा हुआ पाया गया दिशा-निर्देश के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा निर्माण एजेंसी से कार्य की अद्यतन स्थिति चाही गयी परंतु अभिलेख अप्रस्तुत पाये गये।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि शासकीय आदेश का अनुपालन करते हुये महाविद्यालय की बाध्यता थी, अतः द्वितीय किश्त बिना कार्य पूरा किये हुये निर्माण एजेंसी को जारी की गयी। निर्माण एजेंसी को ऑडिट कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिये पत्र लिखा गया, परंतु उनके द्वारा उदासीनता दिखाई गयी तथा वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है, जब कार्य की धीमी प्रगति थी तथा कार्य अक्टूबर 2016 से बंद की संभावना थी, इसकी समय-समय पर गहन समीक्षा की जानी थी, परंतु निर्माण एजेंसी से बिना आगे कार्य प्रगति की Assurance प्राप्त किये ग्राहक विभाग द्वारा द्वितीय किस्त जारी करना अनुचित था। रूसा के दिशानिर्देशों की अवहेलना में निर्माण एजेंसी की पहल की पुष्टि इस बात से भी होती है कि रूसा गाईडलाइन्स के तहत अधिकृत महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्माण एजेंसी से संबंधित अभिलेख सुनिश्चित नहीं कराया जा सका।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 02 :- छात्र निधि खातो में अर्जित ब्याज कि धनराशि **₹ 64,974/-** का अक्रियाशील पड़े रहना।

छात्रनिधियों के रख रखाव एवं उपयोग के संबंध में उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10 जुलाई 1986 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार "यदि किन्ही कारणो से किसी छात्र कोष में बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यों में व्यय करते हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कॉलेज की प्रबंध समिति के अनुपोदरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है" तथा छात्र कल्याण निधि नियमावली 2003 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि" The collection from students in the Nidhi and interest earned thereon shall be utilized to provide assistance under rule-6 (objective of nidhi-provide financial assistance to student) and also to meet establishment and other expenses necessary for administration of Nidhi."

कार्यालय राजकीय विधि महाविद्यालय, गोपेश्वर, चमोली की लेखा परीक्षा अवधि 12/2009 से 09/2017 तक के छात्रनिधियों संबंधित अभिलेखो की जांच की गयी, जांच के उपरान्त पाया गया कि उक्त अवधि के दौरान विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रनिधियों का संचालन किया गया तथा सभी छात्रनिधियों हेतु प्रथक रूप से बैंक खाते खोले गए है। महाविद्यालय द्वारा सभी प्रकार कि छात्रनिधियों हेतु कुल 17 बैंक खाते खोले गए है, संबंधित खातो कि जांच के उपरान्त पाया गया विद्यालय द्वारा संचालित बैंक खातो में साल दर साल ब्याज कि धनराशि अर्जित हो रहा है। आगे पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि में विद्यालय को कुल रू 64,974/- की धनराशि ब्याज के रूप में अर्जित हुई है जिसे कार्यालय द्वारा छात्र कल्याणकारी कार्यो में व्यय नही किया गया है और न ही उक्त धनराशि को शासन को समर्पित किए जाने हेतु कोई प्रयास किया गया है। अतः उक्त धनराशि कार्यालय द्वारा संचालित कुल 17 बैंक खातो में अक्रियाशील अवस्था में पड़ी हुई है साथ ही कार्लालय द्वारा पृथक-पृथक खातो के संचालन किये जाने के कारण उन खातो पर संचालन शुल्क (जैसे SMS Charges, चेक बुक शुल्क आदि) का अतिरिक्त व्यय, होने के कारण छात्र निधियो की बचत की धनराशि भी कम हो रही है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगति किए जाने पर विभाग दवारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया है कि अर्जित ब्याज की राशि को छात्रों को लौटाए जाने का कोई प्रावधान नही है तथा अर्जित ब्याज का उपयोग किस तरह करना है वर्तमान में ऐसा कोई शासकीय दिशा निर्देश प्राप्त नही है इस संबंध में निदेशालय से दिशानिर्देश प्राप्त कर अनुपालन आख्या से अवगत कराया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि छात्र निधियो की धनराशि (ब्याज सहित) का उपयोग छात्र कल्याणकारी कार्यों हेतु किया जाना अनिवार्य था जिसे विभागीय उदासिनता के कारण, न केवल छात्र निधियो का उपयोग छात्रों के कल्याणकारी कार्यो हेतु नही किया जा सका बल्कि रू 64,974/- की अर्जित ब्याज की धनराशि विगत कई वर्षो से अक्रियाशील अवस्था में पड़ी हुई है।

अतः छात्र निधि खातो में अर्जिच ब्याज की धनराशि रू 64,974/- का अक्रियाशील होने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **0**3 :- कॉशन मनी पंजिका का रखरखाव निरीक्षण के अनुरूप नही पाया जाना तथा आहरित धनराशि **₹ 91307.00** का समायोजन नही पाया जाना।

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय गोपेश्वर की लेखापरीक्षा मे कॉशन मनी पंजिका के रखरखाव की जांच की गयी। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि छात्र/छात्रा द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि उनके शिक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात वापस करने का प्रावधान है। पंजिका में छात्रों को वर्ष दर वर्ष वापस की जाने वाली धनराशि का उचित लेखांकन नही पाया गया। पंजिका में निर्धारित अवधि के बाद न लौटाये जाने वाली अर्थात बचत विवरण कही भी दर्ज नहीं पाया गया। अभिलेखों की जांच में आगे पाया गया कि वर्ष 2013 से 2017 तक के मध्य जमा प्रतिभूति राशि में समय-समय पर निरंतर धन का आहरण किया जाता रहा। कुल आहरित धनराशि ₹ 111617.00 में से धनराशि ₹ 91307.00 लेखापरीक्षा तिथि तक असमायोजित पाया गया।

इस ओर इंगति किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि कॉलेज के अन्य कार्यों के संचालन के लिये शासन से बजट प्राप्त न होने के कारण कार्य की नितांत आवश्यकता को देखते हुये स्थानीय स्तर पर निर्णय लेना कार्यालय की मजबूरी होती है, फिर भी भविष्य में उच्च अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया चूंकि प्रतिभूति राशि का रखरखाव पारदर्शी होना चाहिए, जिसे निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थियों को शुल्क वापस करने का प्रावधान है, जिसमें से आहरण करने के पूर्व उच्चाधिकारी से नियमतः अनुमति प्राप्त करना चाहिए था जो लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर **04** :- विभागीय उदासिनता के कारण अर्जिच ब्याज कि धनराशि **₹ 60,131/-** का समायोजन/वापस नही किए जाना।

भारत सरकार दवारा वर्ष 2013 में केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) प्रारम्भ किया गया, जिसके निर्देशानुसार "All receipts and expenditure under RUSA shall be debited and credited to RUSA. Interest accrued, if any on such an account shall be credited to RUSA." "Disbursement of fund to the state" के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार "The releases made to institutions should be as per the approval institutional development plans and after adjusting unspent balances from the previous year."

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय गोपेश्वर (चमोली) के लेखो की नमूना जांच में पाया गया कि लेखा परीक्षा अवधि माह 12/2009 से 09/2017 तक के दौरान कार्यालय को केन्द्र द्वारा संचालित रूसा परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमशः ₹ 24.68 एवं ₹ 62.78 लाख की धनराशि आवंटित हुई थी। उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष कार्यालय द्वारा अब तक क्रमशः ₹ 24.68 लाख एवं ₹ 62.78 लाख का पूर्ण व्यय किया जा चुका है। जांच के उपरान्त पाया कि उक्त धनराशि कि वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते समय यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। उक्त योजना हेतु "इलाहाबाद बैंक", खाता संख्या 50255471579 का संचालन कार्यालय द्वारा किया गया है जिसके अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि संचालित खाता में अवमुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज, भारत सरकार को वापस करने एवं उक्त प्रयोजन के लिए धनराशि को समायोजन के पश्चात आवंटन करने के लिए शासन को इस आशय से अवगत कराने विषयक अभिलेख उपलब्ध नही पाया गया अर्थात कार्यालय द्वारा समायोजन/वापसी हेतु कोई प्रयास नही किया गया था। कार्यालय के उक्त बैंक खाता में ब्याज की धनराशि भारत सरकार को वापस न करने एवं योजनाओ पर व्यय नही किए जाने के कारण ₹ 60,131/- की धनराशि ब्याज के रूप में बैंक खातो में शेष पड़ी थी, साथ ही धनराशि के अवमुक्त होने के एक वर्ष गुजर जाने के बावजूद खाते में कुल रू 1,20,241/-(₹ 60,131/-ब्याज सहित) की धनराशि बचत के रूप में पड़ी हुई थी। अर्जित ब्याज की धनराशि का विवरण निम्नवत पाया गयाः-

क्र.सं.	दिनांक	ब्याज की धनराशि
1.	29.02.2016	3737.00
2.	31.05.2016	38.00
3.	31.08.2016	39.00
4.	30.11.16	32259.00
5.	28.02.17	19843.00
6.	31.05.17	4165.00
योग		**60,131.00**

उपोक्त के अनुसार यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा खोले गए बैंक खाता में ब्याज कि धनराशि वर्षवार बढ़ रही है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ो की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया है प्रोजेक्ट कि जमा धनराशि से अर्जित ब्याज कि सूचना भविष्य में संबंधित विभाग को प्रेषित की जाएगी समायोजन अथवा समर्पण जैसा भी प्रकरण हो इस संबंध में शासन को अवगत कराते हुये दिशानिर्देश प्राप्त किया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभागीय उत्तर से स्पष्ट है कि उक्त अर्जित ब्याज का कार्यालय द्वारा न तो समायोजन करते हुये धनराशि कि मांग कि गयी और न ही उक्त धनराशि वापस किए जाने हेतु कोई प्रयास किया गया। अतः उक्त धनराशि का समायोजन अथवा वापस किया जाना अपेक्षित है।

अतः विभागीय उदासीनता के कारण अर्जित ब्याज कि धनराशि ₹ 60,131/- का समायोजन/वापस नही किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **01** :- कार्यालय द्वारा धनराशि ₹ 5.10 लाख की विभागीय प्राप्तियों की प्रविष्टि रोकड़ बही में नही किए जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका (Volume-V, Part-1) के नियम- 26 अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "Government servants receiving money on behalf of the Government must give the payer a receipt in form no. I. The amount should be entered in the receipt both in words and figures and it should bear the full signature of the Government servant receiving the payment and not mearly his initials. The officer should satisfy himself at the time of signing the receipt that the amount has been entered in the cash-book एवं नियम-27A के अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "A simple cash-book in form no. 2 should be kept in every office for recording in separate columns all moneys received by government servants in their official capacity, and their subsequent remittance to the Treasury or to the Bank, as well as moneys withdrawn from the Treasury to the Bank either by bills or by cheques, and their subsequent disbursements."

कार्यालय की लेखापरीक्षा अवधि 12/2009 से 09/2017 की "माहवार प्राप्तियों से सम्बन्धित लेखा-अभिलेखों में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान चयनित माहों की प्राप्तियों की जांच में ₹ 2,41,819/- की धनराशि को शामिल करते हुये उक्त अवधि में कुल ₹ 5,10,070/- की धनराशि विभागीय प्राप्तिया के रूप में प्राप्त हुई थी। इकाई को उक्त अवधि में शिक्षण शुल्क, विकास, महगाई, प्रयोगात्मक, पंखा आदि हेतु कुल ₹ 5,10,070/- कि धनराशि विभागीय प्राप्तियों के रूप में प्राप्त हुई थी आगे जांच में पाया गया कि प्राप्तियों हेतु कार्यालय द्वारा कोई संबंधित रिकॉर्ड/रजिस्टर नही बनाए गए है और न ही इकाई द्वारा रोकड़ बही में इनकी प्रविष्टि प्राप्तियों (Receipts side) में की जा रही है, जिस कारण लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कार्यालय की Departmental receipt का आकलन नही किया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगति किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया है "विभागीय प्राप्तियों हेतु कोई रजिस्टर कार्यालय द्वारा नही बनाया गया है तथा रोकड़ बही में प्रविष्टि किए जाने संबंधित आपत्ति हेतु इकाई द्वारा भविष्य हेतु नोट किया जाता है।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि कार्यालय द्वारा विभागीय प्राप्तियों संबंधित प्रारम्भिक रिकॉर्ड नही बनाए जा रहे है और न ही इनकी प्राप्तियों को रोकड़ बही में दर्शाया गया है जो कि वित्तीय नियमो का उल्लंघन किया जाना दर्शाता है।

अतः कार्यालय द्वारा धनराशि ₹ 5.10 लाख की विभागीय प्राप्तियों की प्रविष्ठी रोकड़ बही में नही किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **02** :- अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण **6½** वर्षो पश्चात भी क्रय की गयी उपकरण अक्रियाशील पाया जाना।

बजट मैनुअल के पैरा 16 के अनुसार प्राक्कलन तैयार करते समय संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर काफी सावधानी बरतनी चाहिए एवं सभी मदों पर होने वाली व्ययों हेतु समग्र विचारोपरांत बजट प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजना चाहिए।

कार्यालय राजकीय विधि महाविद्यालय, गोपेश्वर (चमोली) की लेखापरीक्षा जांच के दौरान प्रकाश में आया कि मार्च 2011 में क्रय किए गए Projector का लेखापरीक्षा तक Installation नही किया गया। Projector के क्रय के दौरान महाविद्यालय की निवर्तमान बिल्डिगं भी हस्तगत नहीं हुई थी। इस प्रत्याशा में कि भवन का पूर्ण निर्माण होने के पश्चात Projector का उपयोग महाविद्यालय में प्रारम्भ होगा पूर्व में ही बिना समग्र विचार किए क्रय कर लिया गया। इस धनराशि से तात्कालिक वर्ष में कोई अन्य शासकीय कार्य किया जा सकता था।

विगत लगभग 6½ वर्षों से बिना Installation के सामग्री की दक्षता का ह्रास हुआ है। साथ ही Projector के क्रय के साथ ही साथ क्रय मूल्य में Installation Charges भी सम्बद्ध होते है तथा सामग्री की वारंटी/गारंटी अवधि में विक्रेता द्वारा मुफ्त सेवा प्रदान की जाती है। Install नहीं किए जाने से शासकीय धन का अपव्यय किया जाना स्पष्टतया परिलक्षित होता है।

Projector के क्रय संबंधी Bill/Voucher भी, महाविद्यालय उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा। उपरोक्त बजट मैनुअल के पैरा 16 की पूर्ण अनदेखी की गई तथा शासकीय धन को विवेकपूर्ण रूप से व्यय न करके अपव्यय किया गया।

इस ओर इंगति किए जाने पर महाविद्यालय ने उत्तर दिया कि "उस समय स्टॉफ बदलने/ट्रांसफर/सेवानिवृत्त के कारण त्रुटिवश प्रोजेक्टर को Install नहीं किया जा सका। शीघ्र ही प्रोजेक्टर को Install कराकर क्रियाशील कर लिया जाएगा। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति से बचने का प्रयास किया जाएगा।"

महाविद्यालय द्वारा दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि स्टाफ के बदलने या सेवानिवृत होने के कारण कार्यालयी कार्य में इस प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	**STAN**	**TAN**
49/2009-10	1,2	1	1	--

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
49/2009-10	इकाई द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में उचित माध्यम से अविलम्ब म.ले. कार्यालय को प्रेषित का जायेगी।			

भाग-**IV**

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-**V**

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, गोपेश्वर (चमोली) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) 12/2009 से 09/2017 तक व्यय एवं प्राप्ति के अभिलेख

3. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ अशोक कुमार कान्डू	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय गोपेशवर, चमोली	विगत लेखापरीक्षा से 31.07.2011 तक
2.	डॉ डी0सी0 नैनवाल	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय गोपेशवर, चमोली	01.08.2011 से 20.11.2011 तक
3.	डॉ आशा जुगरान	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय गोपेशवर, चमोली	21.11.2011 से 31.07.2012 तक
4.	डॉ डी0सी0 नैनवाल	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय गोपेशवर, चमोली	01.08.2012 से 05.09.2014 तक
5.	डॉ पी0एस0 मखलोगा	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय गोपेशवर, चमोली	06.09.2014 से 04.08.2017 तक
6.	प्रो0 के.एल. मालगुडी	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय गोपेशवर, चमोली	08.08.2017 से अब तक

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, गोपेश्वर (चमोली) को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 02 :- कार्यालय द्वारा धनराशि ₹ 7.87 लाख के बिल/वाउचर जांच हेतु लेखापरीक्षा को उपब्ध न कराया जाना।

कार्यालय द्वारा लेखापीरक्षा अवधि 12/009 से 09/2017 तक की व्ययों का विवरण (माहवार) सूची में नमूना जांच हेतु चयनित महीने 02/2011, 03/2015 के ट्रेजरी द्वारा प्राप्त Form BM-5 एवं रोकड़ बही के लेखापरीक्षा जांच में धनराशि रु 7.87 लाख के निम्नलिखित वाउचर (भुगतान संबंधित) लेखापरीक्षा को जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया था, जिस कारण उक्त धनराशि के वाउचरों की लेखापरीक्षा नहीं की जी सकी है, विवरण निम्न है।

विवरण				
क्र.सं.	दिनांक	बिल संख्या	वाउचर नं0	व्यय धनराशि
1.	18.02.2011	39	B22020041	4800
2.	19.02.2011	40	B22020043	200000
3.	19.02.2011	41	B22020044	100000
4.	19.02.2011	42	B22020045	18350
5.	19.02.2011	32	B22020046	20912
6.	11.03.2015	51	B22020225	42000
7.	16.03.2015	55	B22020345	17231
8.	16.03.2015	50	B22020377	20633
9.	19.03.2015	53	B22020606	50000
10.	24.03.2015	41	B22020843	14850
11.	26.03.2016	80	B22021091	170604
12.	26.03.2017	63	B22021643	128009
योग				**₹ 7,87,389/-**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया है "चूंकि पुराने स्टाफ/कर्मचारी की सेवानिवृति के कारण अल्प अवधि में बिल वाउचर प्रस्तुत करने में असुविधा हो रही है, अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध हो जाने पर अनुपालन आख्या कर अवगत कराया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय धनराशि रू 7.87 लाख के बिल/वाउचर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किए गए है जिस कारण उक्त धनराशि के वाउचरो की जांच लेखापरीक्षा द्वारा नही की जा सकी है।

अतः कार्यालय द्वारा धनराशि रू 7.87 लाख के बिल/वाउचर जांच हेतु लेखापरीक्षा को उपलब्ध न कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।